न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः– 15/2022 दर्ज दिनांक 26.05.2022

जी सी एम एस न0 2022/463 निर्णय दिनांकः– 13.07.2022

1. गोकल पुत्र हनुमान जाति माली निवासी ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार एव लैण्ड होल्डर उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 110, 128 एल.आर.एक्ट वास्ते पत्थरगढी

निर्णय

दिनांकः– 13.07.2022

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना इस आशय का पेश किया है कि ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न0 858, 860 किता 2 कुल रकबा 0.80 है0 अवस्थित है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 11.05.2022 को पटवारी हल्का पौंख ने मौके पर जाकर फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार कि है। सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। उक्त सीमाज्ञान से प्रार्थी सहमत है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम पौंख की की सरहद मे भूमि खसरा न0 858, 860 कुल रकबा 0.80 है0 के चारों ओर दिनांक 11.05.2022 के मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थर गढी के आदेश अनावेदक न0 1 तहसीलदार उदयपुरवाटी को फरमाया जावे तथा नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से जमा लिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। अप्रार्थी न0 1 बावजूद तामिल हाजीर नही अत इनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा सीमाज्ञान दिनांक 11.05.2022 के अनुसार मौके पर सीमाचिन्ह कायम करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख की सरहद मे भूमि खसरा न0 858, 860 कुल रकबा 0.80 है0 में प्रार्थी के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड होना साबित है। प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 11.05.2022 के अनुसार खातेदारी भूमि की सीमाओं पर सीमाचिन्ह कायम करवाना चाहता है। सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है।उक्त विवेचन से प्रार्थी अनावश्यक विवादों से बचने के लिए खातेदारी भूमि की सीमाओं पर सीमाचिन्ह कायम करवाने के अधिकारी है ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम पौंख की सरहद मे भूमि खसरा न0 858, 860 कुल रकबा 0.80 है0 के चारो ओर सीमाज्ञान दिनांक 11.05.2022 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार शुल्क जमा कर सीमाचिन्ह यानी पत्थरगडी करवावे।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.19 09:55:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी